झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेस विज्ञापन

झारखण्ड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जन सम्पर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले समाज में ख्याति प्राप्त योग्य/अर्हताधारी अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन हेतु विहित प्रपत्र एवं पूर्ण विवरण विभाग की वेबसाइट www.dopjharkhand.gov.in पर उपलब्ध है।

इच्छुक आवेदनकर्त्ता उपरोक्तानुसार विहित प्रपत्र में सभी प्रविष्टियों की सूचना अंकित करते हुए अपना आवेदन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची–834004 को स्पीड पोस्ट अथवा निबंधित डाक के माध्यम से **दिनांक–18.11.2019 संध्या 06.00 बजे** तक भेज सकते हैं।

ह0/–

(सुधीर कुमार रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–11/सू0अ0अधि0–03–15/2014 का0 8456 /राँची, दिनांक– 21 अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को आवेदन प्रपत्र एवं विज्ञापन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं प्रमुख अखबारों में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

21/10/19

(सुधीर कुमार रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव।

विज्ञापन सं0–02/2019

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

विज्ञापन

झारखण्ड राज्य सूचना आयोग, राँची में मुख्य सूचना आयुक्त के **एकल** रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक योग्य एवं अर्हताधारी व्यक्तियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:–

1. वेतनः–2,50,000/– प्रतिमाह (पुनरीक्षित) एवं अन्य अनुमान्य भत्ते।

   पदावधिः–पद ग्रहण की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि पूरी होने तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो।

2. अर्हताः–आवेदक विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जन सम्पर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

3. संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल का सदस्य या कोई अन्य लाभ के पद पर कार्यरत या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध या किसी कारोबार या वृत्ति से संबद्ध व्यक्ति भी आवेदक हो सकते हैं परन्तु उन्हें राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के पश्चात् उक्त लाभ का पद या व्यापार छोड़ना/बंद करना होगा।

4. **अर्हता की अन्य शर्त्तें:–**

   (क) आवेदक भारत का नागरिक हो।

   (ख) आवेदक की आयु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक 65 वर्ष से अधिक नहीं हो।

   (ग) वह मानसिक रूप से विक्षिप्त, आर्थिक रूप से दिवालिया या किसी अपराध में संलिप्त नहीं हो।

5. राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिये उपर्युक्त अर्हता एवं शर्त्तों को पूर्ण करने वाले इच्छुक व्यक्ति विहित प्रपत्र में अपना आवेदन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची–834003 को स्पीड पोस्ट अथवा निबंधित डाक के माध्यम से **दिनांक–21.11.2019 संध्या 06.00 बजे** तक भेज सकते हैं। राज्य/केन्द्र सरकार या अन्य किसी संस्था/संगठन के अन्तर्गत सेवारत व्यक्ति अपना आवेदन समुचित माध्यम से भेजेंगे।

6. **अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त हुए आवेदन विचारणीय नहीं होंगे।**

7. विज्ञापन में वर्णित प्रावधानों एवं शर्त्तों में किसी भी प्रकार के संशोधन अथवा रद्द करने का अधिकार राज्य सरकार के अधीन सुरक्षित रहेगा।

21/10/19

(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

झारखण्ड राज्य सूचना आयोग, राँची में मुख्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विचारार्थ भेजे जाने वाले आवेदन का विहित प्रपत्र

कृपया नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएँ

1. आवेदक का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. जन्म तिथि
4. वर्त्तमान पता/पत्राचार का पाता

   स्थायी पता
5. दूरभाष सं०

   मोबाईल नं०
6. ई—मेल पता
7. शैक्षणिक अर्हताएँ

उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	वर्ष	विषय	कुल प्राप्तांक एवं प्रतिशत
मैट्रिक				
इन्टरमीडियट				
स्नातक				
स्नातकोत्तर				
अन्य				

8. व्यापक ज्ञान का क्षेत्र
9. अनुभव
10. ख्याति
11. वर्त्तमान व्यवसाय
12. उपलब्धियां (संक्षेप में)

तिथिः

हस्ताक्षरः

स्थानः

नामः

नोटः— उपर अंकित शैक्षणिक अर्हता/जन्म तिथि/व्यापक ज्ञान/अनुभव/उपलब्धियों के निमित्त स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।